संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, नया रायपुर (छ.ग.)
0771-2433001 0771-2433002
Website:- http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi/, E-mail:-dir.horti-cg@nic.in,

क्र./उद्या./स्था./सी.भर्ती/2018–19/ 2682. रायपुर, दिनांक 03/08/2018.

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन सा.प्र.वि. का पत्र क्र. एफ/6–41/2012/1/एक दिनांक 17.11.2014 एवं छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–36/2016/ 14–1 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति में से रिक्त सहायक ग्रेड–3 के 18 पद एवं शीघ्रलेखक (हिंदी/अंग्रेजी) के 2 पदों की सीधी भर्ती व्यापम के माध्यम से किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. नया रायपुर के अधीन सहायक ग्रेड–3 एवं शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी), की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु संभावित कार्यक्रम निम्नानुसार है–

1. परीक्षा की तिथि – 30 सितंबर 2018 (रविवार)
2. परीक्षा का समयः–
   (i) सहायक ग्रेड–3 भर्ती परीक्षा–2018 हेतु – पूर्वान्ह 9.00 बजे से 12.15 बजे तक
   (ii) शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी) भर्ती परीक्षा–2018 हेतु – अपरान्ह 2.00 बजे से 5:15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 07.08.2018 (मंगलवार)
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 04.09.2018 (मंगलवार) रात्रि 11.59 बजे तक
5. परीक्षा केन्द्रः 05 संभागीय मुख्यालयों में – अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स लेवल	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अनु.जाति	अ.पि.वर्ग
1	सहायक ग्रेड–3	(19500-62000) लेवल–4	18	7	6	2	3
2	शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी)	(25300-80500) लेवल–6	2	1	1	-	-

श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षणः– सहायक ग्रेड–3 (18 पद)

क्र	वर्ग	पद संख्या			योग	रिमार्क
		मुक्त	महिला	भू.पू.सै.		
1	अनारक्षित	4	2	1	7	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की दर से निःशक्तजन का 1 पद श्रवण बाधित हेतु आरक्षित है।
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	1	
3	अनुसूचित जनजाति	3	2	1	6	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	1	-	3	
	योग	10	5	2	17	

यह नियुक्तियॉ मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिटपिटि क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जायेगी।

परीक्षा पाठ्यकम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

3/8/18
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, नया रायपुर (छ.ग.)

☎ 0771-2433001 🖷 0771-2433002

Website:-cghorticulture.gov.in, E-mail:-dir.horti-cg@nic.in,

क./उद्या./स्था./सी.भर्ती/2018-19 2682 रायपुर, दिनांक 03/08/2018

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. शासन सा.प्र.वि. का पत्र क. एफ/6-41/2012/1/एक दिनांक 17.11.2014 एवं छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नया रायपुर का पत्र कमांक एफ 3-36/2016/14-1 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति में से रिक्त सहायक ग्रेड-3 के 18 पद एवं शीघ्रलेखक (हिंदी/अंग्रेजी) के 2 पदों की सीधी भर्ती व्यापम के माध्यम से किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. नया रायपुर के अधीन सहायक ग्रेड-3 एवं शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी), की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु संभावित कार्यक्रम निम्नानुसार है-

1. परीक्षा की तिथि — 30 सितंबर 2018 (रविवार)
2. परीक्षा का समयः-
   (i) सहायक ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा-2018 हेतु — पूर्वान्ह 9.00 बजे से 12.15 बजे तक
   (ii) शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी) भर्ती परीक्षा-2018 हेतु — अपरान्ह 2.00 बजे से 5:15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि — 07.08.2018 (मंगलवार)
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि — 04.09.2018 (मंगलवार) रात्रि 11.59 बजे तक
5. परीक्षा केन्द्रः 05 संभागीय मुख्यालयों में — अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स लेवल	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अनु.जाति	अ.पि.वर्ग
1	सहायक ग्रेड-3	(19500-62000) लेवल-4	18	7	6	2	3
2	शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी)	(25300-80500) लेवल-6	2	1	1	-	-

श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षणः- सहायक ग्रेड-3 (18 पद)

क	वर्ग	पद संख्या			योग	रिमार्क
		मुक्त	महिला	भू.पू. सै.		
1	अनारक्षित	4	2	1	7	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की दर से निःशक्तजन का 1 पद श्रवण बाधित हेतु आरक्षित है।
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	1	
3	अनुसूचित जनजाति	3	2	1	6	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	1	-	3	
	योग	10	5	2	17	

यह नियुक्तियाँ मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिटपिटि क. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने **वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।**

पदवार शैक्षणिक अर्हताएं :–

1. पदनाम–शीघ्रलेखक की शैक्षणिक योग्यता :–

एक. हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए,

दो. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद सेः–

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक– हिंदी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिंदी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक–अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक–ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिंदी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यकम उर्त्तीण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी.)

तीन. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिये (गति के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी).

2. पदनाम–सहायक ग्रेड–3 की शैक्षणिक योग्यता :–

एक. हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए,

दो. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा

तीन. हिंदी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (key) डिप्रेशन **प्रति घंटा की गति होनी चाहिये** (गति के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी).

1. **आयु सीमा** :– छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.01.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को कैलण्डर वर्ष 2018 तक बढाई गई है। अतः अभ्यर्थी की आयु दि. 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

II. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

III. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

IV. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

V. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

VI. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

VII. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VIII. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/ मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष होगी।

IX. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

X. विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा एवं कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा द्वितीय संतान 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात पैदा हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

नियम एवं शर्ते :– (सहायक ग्रेड़–3 एवं शीघ्रलेखक)

1. सहायक ग्रेड–3 एवं शीघ्रलेखक के पदों पर नियुक्यिां छ.ग. उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.06.2013 के अंतर्गत की जायेंगी।
2. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से कम नही होनी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अ.जा, अ.ज.जा.,अ.पि.व., महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।
3. आवेदक को छ.ग. का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
4. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा।
5. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है।
6. महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नही किये जायेंगे। वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेगें जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
7. भूतपूर्व सैनिकों एवं निःशक्तजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा।
8. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैघ) होना अनिवार्य है।

10. आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, इत्यादि में परिवर्तन संबंधी आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
11. आवेदक को पद के लिये निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तो की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा/चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
12. संबंधित पद के लिये वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जायेगी।

चयन प्रकिया:–

विज्ञापित पदों हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापम द्वारा 200 अंको की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जायेगें। निगेटिव मार्किग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर श्रेणीवार एवं वर्गवार सहायक ग्रेड–3 तथा स्टेनोग्राफर पद हेतु दस गुना अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा। कम्प्यूटर दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभाग के दिए गए प्राथमिता क्रम के आधार पर व्यापम द्वारा विभाग आंबटित किया जावेगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात् चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

3/8/18
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नया रायपुर (छ.ग.)